This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 13 नवम्बर, 2025 / 22 कार्तिक, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 नवम्बर, 2025

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–20 / 2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन)

विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 14) को दिनांक 28–10–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 44 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

———————

2025 का अधिनियम संख्यांक 44.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 14 का संशोधन।
3. 2025 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

———————————

2025 का अधिनियम संख्यांक 44.

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 अक्तूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 13 अगस्त, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 14 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 14 में, उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि नगरपालिका का प्रथम निर्वाचन, उसके नगरपालिका के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

3. 2025 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 44 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2025

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 14.
3. Repeal of Ordinance No. 3 of 2025 and savings.

———————

Act No. 44 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH OCTOBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No.13 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 13th August, 2025.

2. Amendment of section 14.—In section 14 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, in sub-section (2), for the second proviso, the following shall be substituted, namely:—

"Provided further that the first election to a municipality may be held within a period of two years of its being notified as a municipality.".

3. Repeal of Ordinance No. 3 of 2025 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 नवम्बर, 2025

संख्या यू0डी0–ए0(1)–1 / 2025.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रस्तावित करते हैं कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन नगरपालिका गठित किए जाने के आशय से नगरपालिका क्षेत्र होंगें, जिन्हें उक्त क्षेत्र के बेहतर विकास और सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए नगर पंचायत बीड़, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना है;

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, के निवासियों के नगर पंचायत बीड़, जिला कांगड़ा की प्रस्तावित घोषणा की बाबत, यदि कोई आक्षेप है / हैं, तो उनसे, उनके ऐसे आक्षेपों को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त, कांगड़ा के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने की एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों), को यदि कोई हो, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्, किसी भी आक्षेप (आक्षेपों) को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

अनुसूची

क्रम संख्या	पटवार वृत्त का नाम	महाल का नाम	पंचायत का नाम	पूर्णतः या आंशिक	प्रस्तावित खसरा की कुल संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	बीड़	बीड़ खास	बीड़	पूर्णतः	1736	194–85–72
		चौगान	चौगान	पूर्णतः	1212	139–42–13
		कोटली	गुनेहड़	पूर्णतः	1268	85–24–52
		गुनेहड़		पूर्णतः	2637	294–47–21
		बिल्लिंग		पूर्णतः	600	1315–34–20
2.	क्योरी	क्योरी	क्योरी	पूर्णतः	1003	323–76–19
		सूजा		पूर्णतः	968	71–16–99
		वाड़ी		पूर्णतः	638	49–13–78
		घोड़नाला		पूर्णतः	753	52–26–89
				कुल	**10815**	**2525–67–63**

[Authoritative English text of this Department Notification No- UD-A(1)-1 /2025 dated 11-11- 2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th November, 2025

No. UD-A(1)-1/2025.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act. No. 13 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to propose that the areas specified in the enclosed Schedule shall be municipal area in order to constitute a Municipality under sub-section (2) of Section 3 of the Act *ibid,* to be classified as Nagar Panchayat, Bir, District Kangra, Himachal Pradesh for the better development and improved arrangement in the said area;

The inhabitants of the area specified in the said Schedule are hereby called upon to submit their objection(s), if any, to the proposed declaration of Nagar Panchayat, Bir, District Kangra to the Principal Secretary (Urban Development) to the Government of Himahcal Pradesh in writing through the Deputy Commissioner, Kangra within a period of two weeks from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

The objection(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the State Government and after the expiry of above stipulated period, no objection(s), whatsoever, shall be entertained.

By order,

DEVESH KUMAR,
Pr. Secretary (UD).

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Patwar Circle	Name of Mohal	Name of Panchayat	Complete (C) Partial (P)	Total No. of Khasra proposed	Area in hectare
1.	Bir	Bir Khas	Bir	C	1736	194-85-72
		Chogan	Chogan	C	1212	139-42-13
		Kotali	Gunehar	C	1268	85-24-52
		Gunehar		C	2637	294-47-21
		Billing		C	600	1315-34-20
2.	Keori	Keori	Keori	C	1003	323-76-19
		Suja		C	968	71-16-99
		Bari		C	638	49-13-78
		Ghornala		C	753	52-26-89
				Total	**10815**	**2525-67-63**

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 नवम्बर, 2025

संख्या यू0डी0–ए0(1)–11 / 2024.––इस विभाग की अधिसूचना संख्या यू0डी0–ए0(1)–11 / 2024 तारीख 05 मई, 2025 द्वारा नगर पंचायत ज्वाली, जिला कांगड़ा के विद्यमान क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नगरपालिका परिषद् क्षेत्र घोषित करने और पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची–I में संशोधन करने तथा पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार नगर पंचायत, ज्वाली को नगरपालिका परिषद् घोषित करने के प्रस्ताव को एतद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभाव्य निवासी (निवासियों) / व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप / आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया गया था जिसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 6 मई, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और इस बाबत नियत अवधि के भीतर इस विभाग में कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 की उप–धारा (6) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के विद्यमान क्षेत्रों को इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3(2) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर पंचायत ज्वाली को नगरपालिका परिषद् ज्वाली के रूप में दर्जा बढ़ाने (उन्नत करने) तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 में संशोधन करते हुए नगर पंचायत का उल्लेख अनुसूची के भाग–II से हटाकर भाग–I में नामतः नगरपालिका परिषद् ज्वाली के रूप में जोड़ने का भी आदेश देते है।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
(देवेश कुमार),
प्रधान सचिव (शहरी विकास)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. UD-A(1)-11/2024 dated 12th November, 2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th November, 2025

No. UD-A(1)-11/2024.—WHEREAS, a proposal for declaration of existing areas of Nagar Panchayat, Jawali, District Kangra as Municipal Council area in accordance with the provisions contained in section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994, (Act. No. 13 of 1994) and also to amend Schedule-I of the Act *ibid* and to declare Nagar Panchayat Jawali as Municipal Council Jawali as per second proviso to Section 3(2) of the Act *ibid*, was notified *vide* this Department Notification No. UD-A(1)-11/2024 dated 05th May, 2025, which was published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 06th May, 2025 for inviting objections from the inhabitant(s)/person(s) likely to be affected thereby;

AND WHEREAS, in this regard, no objections were received in this Department within the stipulated period;

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (6) of section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), is pleased to declare the existing areas of the Nagar Panchayat, Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh as Municipal Council areas from the date of publication of this Notification in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. Further, in exercise of the powers conferred by second proviso to section 3(2) of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to up-grade Nagar Panchayat, Jawali to that of the Municipal Council Jawali and also to amend the Schedule-1 of the said Act by deleting entry of Nagar Panchayat from part-II of the Schedule and to insert it in part-1 of the schedule namely as the Municipal Council, Jawali.

By order,
Sd/-
(DEVESH KUMAR),
Pr. Secretary (UD).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री रमेश चंदर पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी वार्ड नं0 4, सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र अन्य कागजात सहित इस आशय के साथ गुजारा है कि उसकी पत्नी का सही नाम श्रीमती अंजु पुत्री हेम राज पुत्र श्री हीरा पत्नी श्री रमेश चंदर है। उसका नाम आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण–पत्र, नगर परिषद् डलहौजी में सही दर्ज है, लेकिन मलकीयती भूमि मुहाल बकरोटा, पटवार वृत्त डलहौजी में उसका नाम श्रीमती प्रेशना देवी पुत्री हेम राज पुत्र हीरा दर्ज है जोकि गलत है। जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 28–11–2025 को या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
55 / 2025	27–10–2025	20–11–2025

प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थिया श्रीमती कमला देवी पुत्री प्रेम सिंह, निवासी गांव जटेहड़, डाकघर गांहलियां, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिनमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 16–09–1964 को हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत पलेरा के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20–11–2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
58 / 2025	28–10–2025	20–11–2025

प्रार्थी अविनाश कुमार पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव अनसोली, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रार्थी अविनाश कुमार पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव अनसोली, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका जन्म दिनांक 25–01–1963 को हुआ था। लेकिन उक्त जन्म तारीख ग्राम पंचायत अनसोली के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20–11–2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
88 / 25 / TEH	27–10–2025	20–11–2025

प्रार्थी चम्बेल सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल अनसोली, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थी चम्बेल सिंह पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल अनसोली, डाकघर मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रार्थी

द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल वप, मौजा अनसोली, पटवार वृत्त मटौर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के राजस्व रिकार्ड में चन्देल सिंह दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थी का नाम चम्वेल सिंह पुत्र रोशन लाल दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में सही नाम चन्देल सिंह की बजाये चम्वेल सिंह पुत्र रोशन लाल दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20–11–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27–10–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
56 / 2025	27–10–2025	20–11–2025

प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र प्रशोतम वालिया पुत्र संत राम, निवासी वार्ड नं0 9, House No. 3004, गांव व डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र प्रशोतम वालिया पुत्र संत राम, निवासी वार्ड नं0 9, House No. 3004, गांव व डाकघर कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 26–11–2020 को हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण Muncipal Council Kangra के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 20–11–2025 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 27–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814414 / 2025 तारीख पेशी : 03–12–2025

लच्छो देवी पत्नी प्रीतम सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया लच्छो देवी पत्नी प्रीतम सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके देवर श्री प्यारा लाल पुत्र किरपा राम की मृत्यु दिनांक 01–06–2023 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत नहालियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया लच्छो देवी पत्नी प्रीतम सिंह, निवासी गांव वलाहरा, डाकघर वलाहरा के देवर श्री प्यारा लाल पुत्र किरपा राम की मृत्यु तिथि 01–06–2023 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814412 / 2025 तारीख पेशी : 03–12–2025

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रत्न चंद, निवासी महाल सिल्ह, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––नाम दुरुस्ती।

प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रत्न चंद, निवासी महाल सिल्ह, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रस्तुत किया है कि पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल गलोटी व पटवार वृत्त बडोगलाहड के राजस्व महाल कुवाली, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में गलती से उसका नाम कुलदीप चन्द व पिता का नाम रत्न सिंह दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण–पत्र में उसका नाम कुलदीप सिंह व उसके पिता का नाम रत्न चंद दर्ज है, जोकि उसका व उसका पिता का सही नाम है। अलग–अलग नाम हो जाने के कारण प्रार्थी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आग्रह है कि उपरोक्त पटवार वृत्त खुण्डियां के राजस्व महाल गलोटी व पटवार वृत्त बडोगलाहड के राजस्व महाल कुवाली, तहसील खुण्डियां के अभिलेख में उसका नाम कुलदीप सिंह उपनाम कुलदीप चन्द व उसके पिता का नाम रत्न चन्द उपनाम रत्न सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री रत्न चंद व उसके पिता का नाम रत्न चन्द पुत्र किरपा राम, निवासी महाल सिल्ह, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का नाम राजस्व महाल गलोटी व पटवार वृत्त बडोगलाहड के राजस्व महाल कुवाली, तहसील खुण्डियां के राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 814413 / 2025 तारीख पेशी : 03–12–2025

गुरदास राम पुत्र स्व0 माठू राम, निवासी गांव मरेहड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि का पंजीकरण करने हेतु।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी गुरदास राम पुत्र स्व0 माठू राम, निवासी गांव मरेहड़, डाकघर थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री शवनम पुत्री गुरदास राम की मृत्यु दिनांक 30–04–2019 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में मृत्यु तिथि दर्ज नहीं हुई है जिसे ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी गुरदास राम पुत्र स्व0 माठू राम, निवासी गांव मरेहड़, डाकघर थिल की पुत्री शवनम की मृत्यु तिथि 30–04–2019 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत खुण्डियां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0

काश्मदीन बनाम आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेरे धारा 13 (2 / 3) जन्म एवं मृत्यु संशोधित अधिनियम, 1969 एवं हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 9 (2 / 3).

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री काश्मदीन पुत्र स्व0 श्री लाल सैन, निवासी गांव सन्डोर, डाकघर रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसके मुताबिक प्रार्थी का कहना है कि उसकी पोती कुमारी असमा व पौत्र (Grandson) अशरफ का जन्म गांव शिलादेश में क्रमशः दिनांक 29–07–2013 व 11–02–2017 को हुआ है परन्तु वह किसी कारणवश अपनी पोती व पोत्र के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी अब उपरोक्त का जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त नाम के पंजीकरण से एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 21–11–2025 को अदालत में आकर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् किसी भी तरह का एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी की पोती कुमारी असमा व पौत्र (Grandson) अशरफ के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0

काश्मदीन बनाम आम जनता

उनवान मुकद्दमा.––जेरे धारा 13 (2 / 3) जन्म एवं मृत्यु संशोधित अधिनियम, 1969 एवं हि0प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 9 (2 / 3).

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 श्री काश्मदीन पुत्र स्व0 श्री लाल सैन, निवासी गांव सन्डोर, डाकघर रोहडू, तहसील रोहडू, जिला शिमला, हि0प्र0 ने इस अदालत में दरख्वास्त गुजारी है जिसके मुताबिक प्रार्थी का कहना है कि उसकी पुत्रियों कुमारी तजो व कुमारी तबु का जन्म गांव शिलादेश में क्रमशः दिनांक 10–04–2007 व 07–08–2008 को हुआ परन्तु वह किसी कारणवश अपनी पुत्रियों के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी अब अपनी पुत्रियों के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उक्त नाम के पंजीकरण से एतराज हो तो वह अपना एतराज असालतन या वकालतन मिति 21–11–2025 को अदालत में आकर प्रस्तुत कर सकता है। तत्पश्चात् किसी भी तरह का एतराज स्वीकार नहीं होगा तथा नियमानुसार प्रार्थी की पुत्रियों कुमारी तजो व कुमारी तबु का जन्म के पंजीकरण ग्राम पंचायत शिलादेश के रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)

चाहत खिमया पुत्री युद्ध वीर सिंह, निवासी गांव मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0

उनवान मुकद्दमा : दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म को दर्ज करवाने बारे।

इस कार्यालय में युद्ध वीर सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर नाथ, निवासी गांव मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनकी बेटी चाहत खिमटा का जन्म 31–03–2007 को गांव मंढोल, ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में हुआ है। चाहत खिमटा का जन्म, परिवार रजिस्टर नकल में 31–03–2007 दर्ज है परन्तु जन्म पंजीकरण रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रार्थी अब अपनी बेटी चाहत खिमटा की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर असालतन व वकालतन कर सकता है यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थिया के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्ढोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, और उपरोक्त प्रार्थी की पुत्री के जन्म को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंढोल को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–10–2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कंवर युद्ध अभय सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)

ऐरिक खिमटा पुत्र युद्ध वीर सिंह, निवासी गांव मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0

उनवान मुकद्दमा : दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म को दर्ज करवाने बारे।

इस कार्यालय में युद्ध वीर सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर नाथ, निवासी गांव मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके बेटे ऐरिक खिमटा का जन्म 22–06–2009 को गांव मंढोल, ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में हुआ है। ऐरिक खिमटा का जन्म, परिवार रजिस्टर नकल में 22–06–2009 दर्ज है परन्तु जन्म पंजीकरण रजिस्टर में उनके बेटे के जन्म का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रार्थी अपने बेटा ऐरिक खिमटा की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0प्र0 में दर्ज करने बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 03–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर असालतन व वकालतन कर सकता है यदि उक्त तिथि तक कोई भी उजर व एतराज प्रस्तुत न हुआ तो यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत मण्ढोल, तहसील जुब्बल में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, और उपरोक्त के पुत्र के जन्म को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत मंढोल को जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–10–2025 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कंवर युद्ध अभय सिंह,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जुब्बल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 14 / 13(3) of 2025 तारीख मजरुआ : 15–10–2025 तारीख पेशी : 25–11–2025

प्रार्थिया श्रीमती सुविता शर्मा पुत्री श्री कृष्ण शर्मा, निवासी मधारा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थिया श्रीमती सुविता शर्मा पुत्री श्री कृष्ण शर्मा, निवासी मधारा, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजारकर दावा किया है कि प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया का जन्म मिति 02–03–1983 को ग्राम पंचायत कांडो कांसर में हुआ था, लेकिन वह किसी कारणवश आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत कांडो कांसर में दर्ज न करवा सकी, जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थिया के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थिया के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25–11–2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 25–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री जय सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13 / 13(3) of 2025 तारीख मजरुआ : 15–10–2025 तारीख पेशी : 15–11–2025

प्रार्थी कल्याण सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी भाटगड़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी / वादी कल्याण सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी भाटगड़, तहसील ददाहू ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटगड़ में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का जन्म मिति 15–02–1968 को ग्राम पंचायत भाटगड़ में हुआ था, लेकिन वह किसी कारणवश आज तक अपना जन्म ग्राम पंचायत भाटगड़ में दर्ज न करवा सका जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 15–11–2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (जय सिंह ठाकुर),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब–तहसीलदार ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 13 / 13(3) of 2025 तारीख मजरुआ : 09–10–2025 तारीख पेशी : 28–11–2025

प्रार्थी श्री सुंदर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव स्वार, डाकघर एवं पंचायत नेहर–स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री सुंदर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी गांव स्वार, डाकघर एवं पंचायत नेहर–स्वार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/B&D/Delayed cases/2025-8286, दिनांक 29–09–2025 को अदालत हजा में दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका जन्म गांव स्वार, डाकघर एवं ग्राम पंचायत नेहर स्वार में तिथि 09–12–1968 को हुआ था, लेकिन लापरवाही व अज्ञानता के कारण वह आज दिन तक अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नेहर स्वार में दर्ज न करवा सके। जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 28–11–2025 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 28–10–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री सुरेन्द्र चंदेल, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, ममलीग, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 03 / 2025 तारीख मजरुआ : 30–06–2025

श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री श्री माठु राम व श्रीमती सावित्री देवी, निवासी ग्राम कुम्हाली, डाकघर शारडाघाट, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धरा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व धारा 9(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 2003.

श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री श्री माठु राम व श्रीमती सावित्री देवी, निवासी ग्राम कुम्हाली, डाकघर शारडाघाट, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) की रहने वाली है, आवेदिका ग्राम पंचायत सतडोल में अपनी जन्म तिथि दिनांक 01–01–1965 को पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कुन्ता देवी पुत्री श्री माठु राम व श्रीमती सावित्री देवी, निवासी ग्राम कुम्हाली, डाकघर शारडाघाट, तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0) के ग्राम पंचायत सतडोल में अपनी जन्म तिथि दिनांक 01–01–1965 का पंजीकरण करवाना चाहती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर लिखित / मौखिक असालतन / वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। यदि उक्त समय अवधि के भीतर कोई उजर–एतराज प्राप्त नहीं होता है तो उक्त प्रकरण पर नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24–10–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
(सुरेन्द्र चन्देल)
कार्यकारी दण्डाधिकारी ममलीग,
तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Sunil Zinta s/o Sh. Shiv Singh Zinta, r/o Village Siao, P.O. Pujarli-4, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Vaaris Zinta is wrongly mentioned as Baby first Kiran in his Aadhar Card No. 9792 0579 8189. Therefore it should be changed to Vaaris Zinta. Note the relevant information.

SUNIL ZINTA
s/o Sh. Shiv Singh Zinta,
r/o Village Siao, P.O. Pujarli-4,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Surinder Kumar s/o Sh. Jagdish Chand, r/o Village Deot, P.O. Tal, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Manpreet Kaur to Avnee for all purposes in future. All concerned please note.

SURINDER KUMAR
s/o Sh. Jagdish Chand,
r/o Village Deot, P.O. Tal,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anurag s/o Sh. Sada Nand, r/o Village & P.O. Koyal, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Mitashi in her Aadhar Card, whereas it is Mitanshi in her birth certificate and other documents. The name Mitanshi should be corrected.

ANURAG
s/o Sh. Sada Nand,
r/o Village & P.O. Koyal,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sonu Kumari w/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village Kot Langsan, P.O. Awah Devi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Rajat Chandel to Rajat Kumar Chandel. All concerned please note.

SONU KUMARI
w/o Sh. Rakesh Kumar,
r/o Village Kot Langsan, P.O. Awah Devi,
Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Puran Chand s/o Sh. Sayru Ram, r/o Village Sehbar, VTC Haripur Kunihar, Tehsil Arki, District Solan (H.P.)-173207 declare that I have changed my minor daughter's name from Rishika to Rishika Chaudhary. All concerned please note for future.

PURAN CHAND
s/o Sh. Sayru Ram,
r/o Village Sehbar,
VTC Haripur Kunihar,
Tehsil Arki, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hema Kumari w/o Sh. Anil Kumar, r/o Village Manlog (73), P.O. Deothi, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Shauray to Shorya. All concerned please note for future.

HEMA KUMARI
w/o Sh. Anil Kumar,
r/o Village Manlog (73), P.O. Deothi,
Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neha Kumari d/o Sh. Mast Ram, r/o Village Kamola, P.O. Bhrooplahar (191), Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.)-176210 declare that I have changed my name from Neha Kumari to Babita. All concerned please note for future.

NEHA KUMARI
d/o Sh. Mast Ram,
r/o Village Kamola, P.O. Bhrooplahar (191),
Tehsil Kangra, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohar Singh s/o Sh. Sunder Singh, r/o Village Shalamun (59), P.O. Karganoo, Sanora, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed the name of my minor daughter from Gori to Gauri Chauhan. All concerned please note for future.

MOHAR SINGH
s/o Sh. Sunder Singh,
r/o Village Shalamun (59), P.O. Karganoo,
Sanora, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mohinder Dutt Sharma s/o Sh. Mehar Chand, r/o Village Badiaola, P.O. Badiaola (89), Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Mohinder Dutt Sharma to Mohender Dutt. All concerned please note for future.

MOHINDER DUTT SHARMA
s/o Sh. Mehar Chand,
r/o Village Badiaola, P.O. Badiaola (89),
Tehsil Kandaghat, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vrickmi Devi w/o Sh. Preetam Chand, r/o Village Anu Khurd, P.O. Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Bikrami Devi to Vrickmi Devi for all purposes, concerned please may note.

VRICKMI DEVI
w/o Sh. Preetam Chand,
r/o Village Anu Khurd,
P.O. Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vidya Devi w/o Late Sh. Rati Ram Thakur, r/o Village Ghandal, P.O. Shakrah, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Vidya Devi to Kala Devi. All concerned please may note.

VIDYA DEVI
w/o Late Sh. Rati Ram Thakur,
r/o Village Ghandal, P.O. Shakrah,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Taj Bibi w/o Firoz Ali, r/o Village Lana Kotla, P.O. Surla, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Taj Bibi (Old Name) to Tajo (New Name). All concerned please may note.

TAJ BIBI
w/o Firoz Ali,
r/o Village Lana Kotla, P.O. Surla,
Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalam Singh s/o Shri Krishan Lal, r/o V.P.O. Chilala, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Digvi is wrongly mentioned as Pridhi in her Aadhar Card No. 9883 6216 5669. Therefore it should be change to Digvi in Aadhar Card. Note the relevant information.

KALAM SINGH
s/o Shri Krishan Lal,
r/o V.P.O. Chilala,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, L. R. Kapoor s/o Shri Jiddu Ram, r/o Rakkar Road, V.P.O. Sidhbari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that I have changed the name of my daughter as Jaisha instead of Jiasha. Concerned please note.

L. R. KAPOOR
s/o Shri Jiddu Ram,
r/o Rakkar Road, V.P.O. Sidhbari,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhru *alias* Anita w/o Shri Bheem Bahadur, r/o Near Pratap Bhawan, Kumhar Gali, Nahan, Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Anita Bisht (Previous Name) to Bhru Bisht (New Name). All concerned please note.

BHRU *alias* ANITA
w/o Shri Bheem Bahadur,
r/o Near Pratap Bhawan,
Kumhar Gali Nahan, Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anita Devi w/o Shri Krishan Chand, r/o Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Shaurya Ranjan is wrongly mentioned as Kshoriya Ranjan in his Aadhar Card No. 8228 8460 3858. Therefore it should be changed to Shaurya Ranjan in his Aadhar Card. Note the relevant information.

ANITA DEVI
w/o Shri Krishan Chand,
r/o Diswani, P.O. Kaloti,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Shri Ram Chander, r/o House No. 1729/6, Naya Bazar, Nahan, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Rakesh Kumar Aggarwal (Old Name) to Rakesh Kumar (New Name) for all purposes. All concerned please note.

RAKESH KUMAR
s/o Shri Ram Chander,
r/o House No. 1729/6,
Naya Bazar, Nahan, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, No. 281741Y Sub. (AIG) Harish Sharma, r/o Village Parnali, P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.) declare that in my Army record my mother's name is wrongly entered as Kusum Lata. Whereas her correct name is Hem Lata. Please note.

HARISH SHARMA,
r/o Village Parnali,
P.O. Uhal, Tehsil Bamson at Tauni Devi,
District Hamirpur (H.P.).

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।